संख्या-56/2017/924/26-3-2017-10(27)/99-टी0सी0

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन,गोमतीनगर, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 अप्रैल, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना हेतु प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी-08/भा0भ0/2017-18 दिनांक 10.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक-20 मार्च, 2017 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-83 की योजना छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्चो को वहन करने के लिए रू0-101.00 लाख (रूपये एक करोड़ एक लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु धनराशि रूपया-42.08 लाख (रूपये बयालिस लाख आठ हजार मात्र) अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं- (धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2017-18	लेखानुदानके अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि (प्रथम 05 माह हेतु)
अनुदान संख्या-83-आयोजनागत- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ-		
07-मानदेय	22.00	9.17
29-अनुरक्षण	35.00	14.58
41-भोजन व्यय	44.00	18.33
योगः-	**101.00**	**42.08**

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से वर्ष 2017-18 से संबंधित व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यान्वयन के लिए न किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, इनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक-20 मार्च, 2017, में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाय। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित समीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जायें। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(3) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुर्नविनियोग न किया जाये। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में वित्तीय नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन अन्य मदों की धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक हो, उसे प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2017-18 में प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित प्रथम 05 माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- उपर्युक्त योजना/मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-छत्रपति साहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की संगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक-20 मार्च, 2017, द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-56/2017/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।

7- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।